राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 4(16)ग्रावि/नरेगा/मेट–II/09–10 जयपुर, दिनांकः 12 NOV 2009

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त, राजस्थान।

विषयः **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत विकलांगों को कार्य पर नियोजन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषायान्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान के राज पत्र विशेषांक 24.07.06 के बिन्दु संख्या 16(9) अवलोकन करे, जिसमें "शारिरीक रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा रोजगार हेतु आवेदन करने पर उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य देना होगा" उल्लेखित है। इसी के साथ विभाग के आदेश 15.06.09 के बिन्दु संख्या 3 (2) में मेट के चयन में विकलांग को प्राथमिकता तथा बिन्दु संख्या 7.3.2 में विकलांग महिलाओं को क्रेच की जिम्मेदारी देने एवं 7.3.3 में श्रमिकों को पानी पिलाने के लिए नियोजन हेतु प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश है।

संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने Ashagram Trust in collaboration with Poorest Area Civil Society द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के बडवानी जिले में विकलांगों के अध्ययन कर रिपोर्ट प्रेषित की है। जिसमें विकलांग व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो का वर्गीकरण है। राज्य के भीलवाडा जिले में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान भी यह अवगत हुआ है कि विकलांग व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहता है। वह किसी प्रकार की रियायत न चाहकर अपने आत्म सम्मान के साथ जीना चाहता है।

इस संबंध में विकलांग व्यक्ति योजनान्तर्गत अपनी क्षमता के अनुसार क्या क्या कार्य कर सकता है उसकी सूची संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के प्रावधान एवं समय समय पर उपरोक्त निर्देशों के अनुसार इन विकलांग व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य पर नियोजन किया जावे।

भवदीय,
8/11/09
(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

E:\SURGYAN. V\OP Mthurji\Letter op.doc

फरवरी माह मे बैठक मे सभी कार्यकर्ताओं से इस योजना मे विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई जिसमे बताया गया कि सभी अपनी पंचायतो के सरपंच/सचिव को बाताये की विकलांग व्यक्तियों के भी कार्ड बनाये व अपने गाँव के सभी विकलांग व्यक्तियों से मिलकर उन्हे भी बताये की वह अपना जॉब कार्ड बनवाने के लिये पंचायत मे जाकर पंजीयन करवाये।

08/02/06 – मंत्रालय द्वारा मांगी गयी विकलांग व्यक्तियों द्वारा क्षमतानुसार किये जाने वाले कार्यो की सुचि :–

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्रसिंह तोमर को दिये गये पत्र के प्रत्युतर मे ग्रामीण विकास मंत्रालय म.प्र. शासन के सह सचिव श्री योगेन्द्र शर्मा ने संस्था के सी. बी. आर प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री बिजय स्वाई से दूरभाष पर चर्चा की। श्री शर्मा ने पुछा की इस योजना मे किये जाने वाले जो कार्य है उन कार्यो मे विकलांग व्यक्ति क्या और किस प्रकार के कार्य कर सकते है? यदि इन कार्यो का वर्गीकरण मिल जाये तो इस योजना मे विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है और मंत्रालय भी सहयोग करेगा।

/02/06 – जिला पंचायत बड़वानी मे श्री तिवारी जी से चर्चा :–

जिला पंचायत बड़वानी मे रोजगार गारंटी कानून के संबंध मे चर्चा करते हुए पूछा गया कि इस योजना विकलांग व्यक्तियों के लिये कुछ अलग से निर्देश है या नहीं ? इस पर श्री तिवारी जी ने बताया कि इस मे एक परिवार 100 दिन का कार्य कर सकता है यदि परिवार से कोई विकलांग व्यक्ति भी आता है तो देगे, लेकिन गाईडलाईन में ऐसा कुछ बताया नहीं गया जिसमे विकलांग व्यक्तियों के लिये कुछ विशेष तिवारी जी से पुछा गया कि आप विकलांग व्यक्तियों को किस प्रकार का कार्य देंगे, इस पर तिवारी जी कि हमारे पास जो गाईड लाईन है उसमे ऐसा कुछ विशेष नहीं है जिसमे विकलांग व्यक्तियों के कार्य बताया गया हो। जो भी कार्य योजना के अन्तर्गत होंगे उसी मे कार्य देगे। हम कोशिश करेंगे कि उन्हे नुसार ही कार्य दे।

ट्रस्ट द्वारा किया गया विकलांग व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो वर्गकिरण

पंचायत द्वारा लाई गयी गाईड़लाइन व रोजगार गारंटी कानून को पड़ने के बाद सी. बी. आर योजना द्वारा किये जाने वाले अकुशल कार्यो में विकलांग व्यक्ति किस प्रकार व क्या क्या कार्य 25 कार्य बताये गये जिसमे हर प्रकार के विकलांग व्यक्ति क्षमता के अनुरूप क्या कार्य कर सकते रण किया गया। इस वर्गीकरण चार्ट को 10/02/06 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय

विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षमता अनुसार कार्य वर्गीकरण

ना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :–
वर्धन
सूखा रोकने, वन रोपण/वृक्षारोपण
सिंचाई हेतु नहरें लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य
श आवास के अन्तर्गत अ.जा./अ.ज.जा. के हितग्राही परिवारों की निजी भूमि
ई सुविधा उपलब्ध कराना।
नाओ का पुनरुद्धार करना।
लना।
ल जमाव क्षेत्रों में जल निकासी।
में ग्रामीण सड़क सम्पर्क ।
पर केन्द्र सरकार द्वारा अन्य कार्य जो अधिसूचित किये जावें ।

[illegible]

1 पीने का पानी की व्यवस्था	2 बच्चो की देखभाल में मदद।
3 वृक्षारोपण का कार्य	4 सिंचाई – नहर खुदाई का कार्य
5 मिट्टी भरना	6 मिट्टी को बाहर फेकना/ट्राली में डालना।
7 भवन निर्माण – कांक्रीट मटेरियल बनाना	8 कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना।
9 सीमेन्ट व ईंट उठाकर पहुँचाना	10 रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना।
11 नई सिमेंटेड दिवार पर पानी डालना	12 कुआँ गहरीकरण–कुएँ के अन्दर मिट्टी को टोकरी में डालना।
13 गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना	14 मलबे को ट्राली में डालना
15 तालाबों के मलबे को खोदना	16 मलबे को तगारी में भरना
17 भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना	18 ऐरेन या पत्थर लाना
19 ऐरेन या पत्थर को सही जगह पर जमाना	20 भूमि समतलीकरण का कार्य करना
21 मेढ़ बंधान करना।	22 जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गठ्ठा करना
23 खन्ति/गठ्ठे की मिट्टी को अलग जमाना	24 सड़क निर्माण – कच्चे रास्ते को झाडू से साफ करना
25 पानी डालना, गिठ्ठी डालना	

अस्थिबाधित व्यक्तियों द्वारा किये जाने योग्य वाले कार्य :–

1. एक हाथ से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

• पीने का पानी की व्यवस्था	• बच्चो की देखभाल में मदद।
• वृक्षारोपण का कार्य।	• सीमेन्ट व ईंट उठाकर पहुँचाना।
• रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना	• नई बनी दिवार को पानी डालना।
• कच्चे रास्ते को झाडू से साफ करना	• पानी डालना, गिट्ठी डालना।
• मेढ़ बंधान करना।	•

2. दोनो हाथ से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

- बच्चो की देखभाल में मदद।

(परिवार के सदस्यों द्वारा या बच्चों द्वारा मदद की जा सकती हैं, या उन्हें भी काम दिया जा सकता है। जिससे विकलांग व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्म बल भी बढ़ेगा।)

3. एक पैर से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

सहारे के द्वारा कार्य	बिना सहारे के द्वारा कार्य
• पीने का पानी की व्यवस्था। • बच्चो की देखभाल में मदद। • वृक्षारोपण का कार्य। • पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना।) • रेत या गिट्टी को तगारियों में	• पीने का पानी की व्यवस्था • बच्चो की देखभाल में मदद • वृक्षारोपण का कार्य • सिंचाई – नहर खुदाई का कार्य • मिट्टी भरना। • मिट्टी को बाहर फेकना/ट्राली में डालना।

सहारे के द्वारा कार्य	बिना सहारे के द्वारा कार्य
भरना। • कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।	• भवन निर्माण – कांक्रीट मटेरियल बनाना। • कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना। • सीमेन्ट व ईंट उठाकर पहुँचाना। • रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना। • पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना।) • कुआँ गहरीकरण – कुएँ के अन्दर गल को टोकरी में डालना। • गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना। • मलबे को ट्राली में डालना। • तालाबों के मलबें को खोदना। • मलबे को तगारी में भरना। • भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना। • ऐरेन या पत्थर लाना। • ऐरन या पत्थर को सही जगह पर जमाना। • भूमि समतलीकरण का कार्य करना। • मेढ़ बंधान करना। • जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गठ्ठा करना। • खन्ति/गठ्ठे की मिट्टी को अलग जमाना। • सड़क निर्माण – कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना। • पानी डालना, गिठ्ठी डालना।

4. दोनों पैर से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

- बच्चो की देखभाल में मदद।
- वृक्षारोपण का कार्य।
- रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना।
- गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना।

(कुएँ से मलबा बडे डाले में भरा जाता है और दस से पन्द्रह व्यक्ति को खिंचना पड़ता है, यदि यह मलबा भरने का कार्य छोटे डाले में भरा जाये और दस पन्द्रह व्यक्तियों की जगह तीन से चार विकलांग व्यक्ति ही बैठे – बैठे ही खिंचे तो कार्य भी जल्दी होगा और अपेक्षाकृत मानव श्रम भी कम लगेगा। साथ ही विकलांग व्यक्तियों को भी कार्य मिल सकेगा।)

- कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।

5. पैर व एक हाथ से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

सहारे के द्वारा कार्य	बना सहारे के द्वारा कार्य
• पीने का पानी की व्यवस्था • बच्चो की देखभाल में मदद	• पीने का पानी की व्यवस्था • बच्चो की देखभाल में मदद

• वृक्षारोपण का कार्य • रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना • कच्चे रास्ते को झाडू से साफ करना • पानी डालना, गिठ्ठी डालना	• वृक्षारोपण का कार्य • पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना) • कच्चे रास्ते को झाडू से साफ करना • पानी डालना, गिठ्ठी डालना

6. ऐसी कमजोरी जिससे पीठ पर कुबड़ हो उन व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कार्य :-

- पीने का पानी की व्यवस्था।
- बच्चो की देखभाल में मदद।
- वृक्षारोपण का कार्य।
- निर्माण स्थल पर नई बनी दिवारों को पानी देना ।
- कच्चे रास्ते को झाडू से साफ करना।
- पानी डालना, गिठ्ठी डालना।

दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा किये जाने योग्य कार्य :-

1. एक आंख से न दिखाई देना एवं दुसरी से कम दिखाई देना उन व्यक्तियो द्वारा किया जाने वाला कार्य

• पीने का पानी की व्यवस्था।	• बच्चो की देखभाल में मदद।
• वृक्षारोपण का कार्य।	• सिंचाई – नहर खुदाई का कार्य
• मिट्टी भरना।	• मिट्टी को बाहर फैकना/ट्राली में डालना।
• भवन निर्माण – कांक्रीट मटेरियल बनाना।	• कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना।
• सीमेन्ट व ईट उठाकर पहुँचाना।	• रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना।
• पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना।)	• गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना।
• मलबे को ट्राली में डालना।	• तालाबों के मलबें को खोदना।
• मलबे को तगारी में भरना।	• भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना।
• ऐरेन या पत्थर लाना।	• ऐरन या पत्थर को सही जगह पर जमाना।
• भूमि समतलीकरण का कार्य करना।	• मेढ़ बंधान करना।
• जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गढ्ढा करना।	• खन्ति/गढ्ढे की मिट्टी को अलग जमाना।
• सड़क निर्माण – कच्चे रास्ते को झाडू से साफ करना।	• पानी डालना, गिठ्ठी डालना।

2. दोनों आंखों से न दिखाई देने वाले व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

- पीने का पानी की व्यवस्था।
- बच्चो की देखभाल में मदद।
- वृक्षारोपण का कार्य।
- रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना।

– परिवार के सदस्यों को भी कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे परिवार के सदस्यों को इस बात का एहसास हो कि विकलांग व्यक्ति घर पर बोझ नही है, अपितु इनकी बदोलत परिवार में एक आय का जरिया भी बना है।

– ऐसे कार्यो को विकलांग व्यक्ति से करवाने के लिए उन्हें शांति से समझाना चाहिए, साथ ही कार्य के तरिको व उस क्षेत्र की दूरी को उनके कदमों के नाप से प्रशिक्षण देने कि आवश्यकता है।

[illegible] बाधित व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य

• पीने का पानी की व्यवस्था।	• बच्चो की देखभाल में मदद।
• वृक्षारोपण का कार्य।	• सिंचाई – नहर खुदाई का कार्य
• मिट्टी भरना।	• मिट्टी को बाहर फेकना/ट्राली में डालना।
• भवन निर्माण – कांक्रीट मटेरियल बनाना।	• कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना।
• सीमेन्ट व ईंट उठाकर पहुँचाना।	• रेत या गिट्टी को तगारियों नें भरना।
• पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना।)	• गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना।
• मलबे को ट्राली में डालना।	• तालाबों के मलबें को खोदना।
• मलबे को तगारी में भरना।	• भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना।
• ऐरेन या पत्थर लाना।	• ऐरन या पत्थर को सही जगह पर जमाना।
• भूमि समतलीकरण का कार्य करना।	• मेढ़ बंधान करना।
• जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गढ्ढा करना।	• खन्ति/गढ्ढे की मिट्टी को अलग जमाना।
• सड़क निर्माण –कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।	• पानी डालना, गिठ्ठी डालना।

मंदबुद्धि व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

1. [illegible] मंदबुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

• पीने का पानी की व्यवस्था।	• बच्चो की देखभाल में मदद।
• वृक्षारोपण का कार्य।	• सिंचाई – नहर खुदाई का कार्य
• मिट्टी भरना।	• मिट्टी को बाहर फेकना/ट्राली में डालना।
• कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना।	• सीमेन्ट व ईंट उठाकर पहुँचाना।
• रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना।	• मलबे को ट्राली में डालना।
• तालाबों के मलबें को खोदना।	• मलबे को तगारी में भरना।
• भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना।	• ऐरेन या पत्थर लाना।
• ऐरन या पत्थर को सही जगह पर जमाना।	• भूमि समतलीकरण का कार्य करना।
• मेढ़ बंधान करना।	• जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गढ्ढा करना।
• खन्ति/गढ्ढे की मिट्टी को अलग जमाना।	• सड़क निर्माण – कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।
• पानी डालना, गिठ्ठी डालना।	

नोट :– एक बार कार्य को निर्देशित करने की एवं एक बार करके बताने की जरूरत हैं। ये व्यक्ति कार्य को समझने के बाद कार्य को बेहतर व अच्छा कर सकते है।

अल्प मंदबुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य [illegible]

• पीने का पानी की व्यवस्था।	• बच्चो की देखभाल में मदद।
• वृक्षारोपण का कार्य।	• मिट्टी भरना।
• मिट्टी को बाहर फेकना/ट्राली में डालना।	• रेत या मिट्टी को तगारियों में भरना।
• मलबे को ट्राली में डालना।	• कच्चे रास्ते को झाडू से साफ करना।
• पानी डालना, गिठ्ठी डालना।	

– सहयोग के रुप में दूसरों के साथ मिलकर अच्छा कार्य कर सकते है।
– सिर पर तगारी चढ़ा देने पर मलबे को फेकने का कार्य कर सकते है।

मानसिक रोग से उपचारित व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य [illegible]
यह व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य कर सकते है सिर्फ भावनात्मक रुप से कुछ कमजोर हो सकते हैं। [illegible]

अस्थिबाधित एवं [illegible] व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य [illegible]
यह व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य कर सकते है सिर्फ एक बार कार्य को निर्देशित करने [illegible]
करके बताने की जरूरत है। [illegible]

16/02/06 :– ग्राम पंचायत तलून मे चर्चा :–

ग्राम पंचायत तलून खूर्द व बजट्टा बुजुर्ग मे रोजगार गारंटी मे जॉब कार्ड के संबंध मे चर्चा करने पर सरपंच और पंचायत के पंच श्री जगदिश कुमावत ने बताया कि हमारी पंचायत मे सभी के परिवार के मुखिया के नाम से जॉब कार्ड बना है और जिस परिवार मे मुखिया विकलांग है उसी के नाम से जॉब कार्ड बना है। जिस परिवार मे 18 वर्ष या अधिक उम्र का विकलांग व्यक्ति होगा और वह कार्य मांगने के लिये आवेदन करता है तो हम उसे कार्य जरूर देगे। वह पानी पिलाने या बच्चों को रखने का कार्य भी कर सकता है।

साथ ही पंचायतों को बताया गया की इस योजना मे क्या–क्या कार्य हो सकते है। उन सभी कार्यो मे किस प्रकार का विकलांग व्यक्ति क्या–क्या कार्य कर सकता है। विकलांग व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो की सूची भी पंचायतों में दी गई।

17–18/02/06 दो दिवसिय कार्यकर्ताओं की क्षमता विकास प्रशिक्षण में NREGA पर चर्चा :–

आशाग्राम ट्रस्ट में दिनांक 17–18/02/06 को कार्यकर्ताओं के लिये दो दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण [illegible]गया था। जिसमे रोजगार गारंटी योजना पर चर्चा की गई।

प्रशिक्षण में हुई चर्चा के बिन्दू :–

- ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है 100 दिन का रोजगार मिलेगा।
- पहले पंचायत में जॉब कार्ड बनवाने के लिये पंजीयन करवाना।
- पंजीयन मुखिया के नाम से होगा जिसमे सभी वयस्क सदस्यों के नाम होंगे।
- पंजीयन होने व कार्ड बनने के बाद काम का आवेदन पंचायत मे देना होगा।
- काम कम से कम 14 दिन के लिये मांगना होगा।
- एक दिन की न्यूनतम मजदूरी कम से कम 60 रू प्रतिदिन होगी।
- 15 दिन मे काम न दिये जाने पर भत्ता दिया जायेगा।
- 5 किलो मिटर से अधिक दूरी पर कार्य मिलने पर मजदूरी का 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान दिया जायेगा।
- आवेदन, व्यक्तिगत या सामुहिक रूप से भी कर सकते है, जिसका रसिद लेना अनिवार्य है।